"गवर्नमेंट एडमिट्स इनेबिलिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) क्या यह सच है कि देश में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रभावशाली कानून नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों में संशोधन करने और कानूनों को लागू करने के लिए किसी प्रभावशाली तंत्र की स्थापना करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रकाशित समाचार मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा "मजदूरी संरक्षण" से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 95 का अनुसमर्थन न करने से संबंधित है। अभिसमय के मूल सिद्धान्त को भारत द्वारा स्वीकार किया गया है और कर्मकारों की मजदूरी की रक्षा करने के लिये मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सांविधिक उपबंध पहले ही विद्यमान हैं। मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 किसी कारखाने, रेलवे तथा अधिनियम में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक अथवा अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित औसतन 1600/- रु. माह से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अनुसूचित नियोजनों पर लागू होता है।

तथापि, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 95 का अनुसमर्थन नहीं किया है क्योंकि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत औसतन 1600/-रु. प्रति माह से अधिक मजदूरी प्राप्त करने वाले मेहनतकश मजदूर नहीं आते हैं।

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

Accounts (1989-90) of the Coffee Board, Bangalore and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KAMALUDDIN AHMED): Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers :--

(i) Annual Accounts of the Coffee Board, Bangalore, for the year 1989-90 and the Audit Report thereon.

(ii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) above. [placed in Library, *See* No. L.T. 3717/93].

Report (1991-92) of the Employees Provident Fund Organisation, New Delhi

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : *Sir, I lay on the Table a* copy (in English and Hindi) of the Thirty-ninth Annual Report of the Employees Provident Fund Organisation, New Delhi, for the year 1991-92. [Placed in Library. *See* No. L.T. 3719/93].

Report of the Comptroller and Auditor General of India, relating to Hindustan Teleprinters Limited

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE (KUMARI SELJA) : Sir, On behalf of SHRI SUKH RAM, I lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy (in English and Hindi) of the Report of the Comptroller and Auditor General of India—Union Government-[No. 8 (Commercial) of 1992] relating to Hindustan Teleprinters Limited. [Placed in Library. *See* No. L.T. 3730/93].